भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3051

11 मार्च, 2026 के लिए प्रश्न

अंत्योदय अन्न योजना

3051. श्री बाबू सिंह कुशवाहा:

श्री नीरज मौर्य:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उत्तर प्रदेश के बरेली, बदायूं, शाहजहांपुर, जौनपुर, एटा और कासगंज जिलों में अंत्योदय अन्न योजना और पात्र गृहस्थी श्रेणियों के तहत वर्तमान में पंजीकृत राशन कार्ड धारकों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) पिछले पांच वर्षों के दौरान उक्त जिलों में पहचाने गए अपात्र लाभार्थियों की संख्या कितनी है और सरकार द्वारा ऐसे लाभार्थियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है तथा दोषी उचित दर दुकान डीलरों और विभागीय अधिकारियों के विरुद्ध क्या दंडात्मक उपाय/कदम उठाए गए हैं;

(ग) उक्त अवधि के दौरान उक्त जिलों में निलंबित, निरस्त या काली सूची में डाली गई उचित दर दुकानों का ब्यौरा क्या है और संख्या कितनी है;

(घ) क्या सार्वजनिक वितरण प्रणाली की निगरानी में सांसदों, विधायकों और ग्राम प्रधानों जैसे जन प्रतिनिधियों के लिए कोई औपचारिक भूमिका परिभाषित की गई है;

(ड.) क्या जन प्रतिनिधियों को सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली या किसी अन्य तंत्र के माध्यम से पात्र वंचित परिवारों को शामिल करने की सिफारिश करने का अधिकार है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री

(श्रीमती निमुबेन जयंतीभाई बांभणिया)

(क): उत्तर प्रदेश के बरेली, बदायूं, शाहजहाँपुर, जौनपुर, एटा और कासगंज जिलों में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (एनएफएसए) के तहत पंजीकृत राशन कार्डों का श्रेणीवार ब्यौरा निम्नानुसार है:-

जिला	अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई)	प्राथमिकता वाले परिवार (पीएचएच)
बरेली	99,596	6,89,068
बदायूं	45,187	5,18,790

...2/-

शाहजहाँपुर	37,847	5,58,718
कासगंज	27,592	2,23,303
जौनपुर	1,25,473	7,14,972
एटा	26,491	2,86,709

(ख): उक्त जिलों में चिह्नित किए गए फर्जी या अपात्र लाभार्थियों की कुल संख्या और पिछले पांच वर्षों के दौरान उनके विरुद्ध की गई कार्रवाई का विवरण निम्नानुसार है:

जिले का नाम	चिह्नित लाभार्थी	राज्य सरकार द्वारा हटाए गए लाभार्थी
बरेली	1,27,725	55,498
बदायूं	96,349	36,116
शाहजहाँपुर	55,791	21,250
कासगंज	42,625	27,854
जौनपुर	1,19,478	36,789
एटा	50,207	34,492

(ग): जनवरी, 2015 से दिसंबर, 2025 तक पीडीएस/टीपीडीएस (नियंत्रण) आदेशों के प्रासंगिक खंडों के तहत उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा की गई कार्रवाई के परिणाम दर्शाने वाला विवरण **अनुबंध** में दिया गया है।

(घ) से (च): एनएफएसए, 2013 की धारा 29 के अनुसार, राज्य सरकारों को सामाजिक लेखा परीक्षा, अभिलेखों का सार्वजनिक प्रकटीकरण और लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की कार्यप्रणाली की सामुदायिक निगरानी सहित पारदर्शिता और जवाबदेही तंत्र स्थापित करना आवश्यक है। इस संदर्भ में, ग्राम पंचायत जैसे स्थानीय निकाय और उनके प्रतिनिधि (ग्राम प्रधानों सहित) लाभार्थी सूचियों के सत्यापन, सामाजिक लेखा परीक्षा और स्थानीय स्तर पर उचित दर दुकानों के पर्यवेक्षण जैसी निगरानी गतिविधियों से जुड़े हो सकते हैं।

इसके अलावा, टीपीडीएस (नियंत्रण) आदेश, 2015 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को राज्य, जिला, ब्लॉक और उचित दर दुकान के स्तर पर सतर्कता समितियां स्थापित करने का अधिदेश देता है, ताकि पीडीएस की कार्यप्रणाली का नियमित पर्यवेक्षण किया जा सके और खाद्यान्न वितरण में पारदर्शिता तथा जवाबदेही सुनिश्चित की जा सके। इन सतर्कता समितियों का उद्देश्य उचित दर दुकानों और वितरण प्रणाली की कार्यप्रणाली की निगरानी के लिए स्थानीय निकायों, जन प्रतिनिधियों और अन्य सामुदायिक हितधारकों के प्रतिनिधियों को शामिल करना है।

*****

"अंत्योदय अन्न योजना" के संबंध में लोक सभा में दिनांक 11.03.2026 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 3051 के उत्तर के भाग (ग) में उल्लिखित अनुबंध।

जनवरी, 2015 से दिसंबर, 2015 तक पीडीएस/टीपीडीएस (नियंत्रण) आदेशों के प्रासंगिक खंडों के तहत उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा की गई कार्रवाई के परिणामों को दर्शाने वाला विवरण।

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	वर्ष	निरीक्षणों की संख्या	मारे गए छापों की संख्या	गिरफ्तार/मुकदमा चलाए गए/दोष सिद्ध व्यक्तियों की संख्या	निलंबित/रद्द उचित दर दुकान लाईसेंस/जारी किए गए कारण बताओं नोटिस/दर्ज प्राथमिकियों की संख्या
उत्तर प्रदेश	2015	45376	*	1009	6665
	2016	62322	6961	887	6545
	2017	29804	3141	557	2461
	2018 (अप्रैल 18 – मार्च, 19)	138302	*	3385	9419
	2019-20	150970	2343	1086	6404
	2020-21	153393	14329	1199	6506
	2021-22	116734	11207	573	5026
	2022-23	108662	10312	716	4245
	2023	28237	2684	122	820
	2024	*	*	*	*
	2025	*	*	*	*

*राज्य सरकार द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई।

*****